

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3045] No. 3045] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ. 3838(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 36 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.1/1/2018-सीएल.l] के.बी.आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

S.O. 3838(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the day of 31st July, 2018 as the date on which the provisions of Section 36 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2018-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.